मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1306 भोपाल दिनांक 25 जनवरी 2020

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/नर्मदापुरम (होशंगाबाद)/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/
चम्बल (मुरैना)/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) भार साधक अधिकारी/सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त जिला समस्त (म0प्र0)

विषयः–"ई–अनुज्ञा" पोर्टल का सुचारु कियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने संबंधी।
संदर्भः–कार्यालयीन पत्र बी–5/2/ई–अनुज्ञा/2019–20/1282 दिनांक 30/12/2019।

–0–

"ई–अनुज्ञा" पोर्टल का सुचारु कियान्वयन सुनिश्चित करने एवं सुक्ष्म दैनिक समीक्षा यथा मॉनिटरिंग की नितान्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आपका ध्यान आकर्षित किये जाने हेतु दिनांक 16/08/2019 से दिनांक 22/01/2020 तक की अवधि में समग्र रुप से अनुज्ञा पत्र 5410, भुगतान पत्रक 307049, रसीद 7984, प्रदेश के बाहर से आयतित 991, शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रक 3037, प्रसंस्करण बिल 732, आर.ओ./डी.ओ. एण्ट्री 154, बिलों के आधार विक्रय 528, पाक्षिकी 2967 निरस्तीकरण संबंधी स्वतः जनित रिपोर्टस "ई–अनुज्ञा" पोर्टल से प्राप्त की जाकर आपके अंचल की स्थिति परिशिष्ट–01 एवं 02 में सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

| क्रमांक | कार्य का विवरण | निरस्ती के प्रकरण |
|---|---|---|
| 1. | **कुल जारी ई–अनुज्ञा पत्रों** के विरुद्ध "ई–अनुज्ञा" निरस्ती के प्रकरण | भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर (मय चम्बल) संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 2. | **कुल भुगतान पत्रकों** के विरुद्ध निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से उज्जैन, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), इंदौर, ग्वालियर (मय चम्बल), जबलपुर संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 3. | **कुल जारी रसीदों** में निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से इंदौर, उज्जैन, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), ग्वालियर (मय चम्बल) संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |

dandeep

| क्रमांक | कार्य का विवरण | निरस्ती के प्रकरण |
|---|---|---|
| 4. | **कुल प्रदेश के बाहर से आयतित** में निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से जबलपुर, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), उज्जैन, इंदौर संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 5. | **कुल शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रकों** में निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), ग्वालियर (मय चम्बल), इंदौर, जबलपुर संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 6. | **कुल प्रसंस्करण बिलों** के निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से जबलपुर, इंदौर, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), ग्वालियर (मय चम्बल) संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 7. | **कुल आर.ओ.** निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), ग्वालियर (मय चम्बल), उज्जैन संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |
| 8. | **कुल बिलों के आधार पर विक्रय** के निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), रीवा संभाग की मण्डियों में सर्वाधिक हैं। |
| 9. | **कुल पाक्षिकी** (दिनांक 01/08/2019 से 15/08/2019 तक की) विवरण के निरस्ती के प्रकरण | प्रमुख रुप से इंदौर, उज्जैन, भोपाल (मय नर्मदापुरम होशंगाबाद), जबलपुर, ग्वालियर (मय चम्बल), सागर, रीवा संभाग की मण्डी समितियों में सर्वाधिक हैं। |

कृपया उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये प्रत्येक माह अंचल कार्यालय में होने वाली मासिक समीक्षा बैठक में मण्डी समितियों के सचिव के साथ में ''ई–अनुज्ञा'' क्रियान्वयन की सुक्ष्म समीक्षा की जाये। ''ई–अनुज्ञा'' पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की स्वतः जनित सावधिक रिपोर्टस आपकी एवं मण्डी सचिव की लॉगिन पर उपलब्ध है का दैनिक कार्य संचालन में अधिक से अधिक उपयोग करें/करायें, मण्डी समितियों के दौरे/भ्रमण के दौरान विशेष रुप से मण्डी में क्रियान्वित ''ई–अनुज्ञा'' प्रणाली का निरीक्षण अनिवार्य रुप से करें, जहाँ आवश्यक हो वहाँ अंचल के मास्टर ट्रेनर की मदद से मण्डी कर्मियों एवं व्यापारियों के लिये रिफ्रेशर ऑन जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायें।

साथ ही किसानों को भुगतान समय पर हो एवं किसी भी कारण से मण्डी शुल्क अपवंचन की स्थिति निर्मित न हो? इसके लिये अंचल की आडिट टीम को मण्डी समितियों के नियमित अंकेक्षण कार्य में लगायें ताकि उपरोक्तानुसार निरस्तीकरण के संबंध में वास्तविक्र कारणों को ज्ञात किया जा सके। यदि कोई भी कार्य निरस्तीकरण त्रुटिपूर्ण अथवा मण्डी प्रावधानों के विपरीत हुये हैं तो उनमें सुधार/समाधान की कार्यवाही पूर्ण की जाये तथा की गई कार्यवाही प्रगति से मुख्यालय को भी अवगत कराया जावे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. केदार सिंह)
अपर कलेक्टर/अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बी–5 / 2 / ई–अनुज्ञा / 2019–20 / 1307 भोपाल दिनांक 25 जनवरी 2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(03) अपर संचालक (वित्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल :– कृपया उपरोक्त स्थिति से अवगत होते हुये तत्काल अंचलवार अंकेक्षण दल का गठन करते हुये चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की मण्डी समितियों में अंकेक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराने का अनुरोध है।

(04) अपर संचालक (निरीक्षण), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल :– कृपया मण्डी समितियों के निरीक्षण रोस्टर में ई–अनुज्ञा क्रियान्वयन को प्रमुखता के साथ समावेश कराने का अनुरोध है।

(05) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(06) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(07) संयुक्त संचालक (नियमन) / उप संचालक (वित्त / आडिट) / सहायक संचालक (नियमन), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(08) श्री रामकिशुन असाटी, कंसलटेंट (ई–अनुज्ञा), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(09) श्री मनोज सबरवाल, सहायक उपनिरीक्षक (ई–अनुज्ञा टीम, मण्डी बोर्ड मुख्यालय), द्वारा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति भोपाल जिला भोपाल।

अपर कलेक्टर / अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

# e-Anugya

## कुल निरस्तीकरण रिपोर्ट, दिनाँक - 16-08-2019 से 22-01-2020 तक

| स.क्र. | आँचलिक कार्यालय | कुल अनुज्ञा-पत्र | कुल भुगतान-पत्रक | कुल रसीद | कुल प्रदेश के बाहर से आयतित | कुल शासन से छूट प्राप्त भुगतान पत्रक | कुल प्रसंस्करण बिल | कुल RO Entry | कुल बिलो के आधार पर विक्रय | कुल पाक्षिकी (01/08/2019) से (15/08/2019) तक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHOPAL | 1454 | 80036 | 1338 | 221 | 2271 | 79 | 65 | 50 | 474 |
| 2 | INDORE | 982 | 37445 | 1637 | 154 | 152 | 128 | 7 | 188 | 616 |
| 3 | UJJAIN | 963 | 114129 | 1569 | 196 | 36 | 56 | 23 | 173 | 569 |
| 4 | JABALPUR | 659 | 22545 | 995 | 320 | 89 | 346 | 18 | 65 | 463 |
| 5 | GWALIOR | 647 | 29229 | 1382 | 64 | 426 | 78 | 26 | 8 | 425 |
| 6 | SAGAR | 414 | 16867 | 690 | 15 | 47 | 32 | 13 | 10 | 326 |
| 7 | REWA | 291 | 6798 | 373 | 21 | 16 | 13 | 2 | 34 | 94 |
| | | **5410** | **307049** | **7984** | **991** | **3037** | **732** | **154** | **528** | **2967** |

**प्रिंट दिनाँक एवं समय :** 23-01-2020 18 : 28

e-Anugya

## ई-अनुज्ञा कियान्वयन अंतर्गत दैनिक गतिविधियों और निरस्तीकरण/संशोधन रिपोर्ट, दिनाँक - 16-08-2019 से 22-01-2020 तक

| स.क्र. | कार्य का विवरण | कुल | कुल निरस्तीकरण/संशोधन | कुल निरस्तीकरण/संशोधन का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रदेश के बाहर से आयातित | 13693 | 991 | 7.24 % |
| 2 | आर.ओ. एंट्री | 2129 | 154 | 7.23 % |
| 3 | कुल पाक्षिकी | 52016 | 2967 | 5.7 % |
| 4 | भुगतान-पत्रक | 5790853 | 307049 | 5.3 % |
| 5 | शासन से छूट प्राप्त भुगतान-पत्रक | 70070 | 3037 | 4.33 % |
| 6 | प्रसंस्करण बिल | 18196 | 732 | 4.02 % |
| 7 | मंडी फीस रसीद | 291882 | 7984 | 2.74 % |
| 8 | बिलो के आधार पर विक्रय | 22939 | 528 | 2.3 % |
| 9 | अनुज्ञा-पत्र | 774756 | 5410 | 0.7 % |
| | योग — | 7036534 | 328852 | |

प्रिंट दिनाँक एवं समय : 23-01-2020 18 : 37